मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1869/98/सी/चार, भोपाल, दिनांक 08 अक्टूबर, 1998

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :—प्रतिनियुक्ति के संबंध में।

संदर्भ :—वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 49/3714/79/नि-1/चार/80, दिनांक 12 जनवरी, 81।

उपरोक्त विषय में संदर्भित ज्ञापन का कृपया अवलोकर करें, जिसके अनुसार शासकीय कर्मचारी अपने संवर्ग के बाहर प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए अधिकाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं। इसलिए यह शर्त लगाई गई थी कि प्रतिनियुक्ति की अवधि चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसके पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में कई आदेश जारी किये गये हैं, जिनके अनुसार दोनों विभागों की सहमति से यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

2. वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में वित्तीय दृष्टि से प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि वर्तमान में निगमों/मण्डलों/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से राज्य शासन में, निगम/मण्डल/अर्द्धशासकीय संस्था से दूसरे निगम/मण्डल/अर्द्धशासकीय संस्था में तथा राज्य शासन से निगम/मण्डल/अर्द्धशासकीय संस्था में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी लिये जा रहे हैं। हाल ही में एक प्रकरण यह भी देखने में आया है कि एक कर्मचारी एक निगम से उसके पद के वेतनमान से उच्च वेतनमान में दूसरे निगम/मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर गया और बहुत कम समय में दूसरे निगम/मण्डल से राज्य शासन में उससे भी उच्च वेतनमान में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हुआ। उसे राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हाल ही में दिये गये नवीन वेतनमानों का लाभ भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक ओर व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की दिशा में कार्य हुआ, वहीं दूसरी ओर राज्य को वित्तीय भार भी वहन करना पड़ा।

3. अत: यह निर्णय लिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते समय विभाग ऐसे प्रकरणों में वित्त विभाग की सहमति अवश्य प्राप्त करें जिसमें राज्य शासन से निगमों/मण्डलों/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में अथवा निगमों/मण्डलों/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से राज्य शासन में, एक निगम/मण्डल/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से दूसरे निगम/मण्डल/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी अपने पद से उच्च वेतनमान में पदस्थ किया जा रहा हो। संबंधित निगम/मण्डल अपने प्रस्ताव उनके प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को भेजेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(स्नेहलता श्रीवास्तव)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 08 अक्टूबर 1998

पृष्ठांक क्रमांक 1870/98/सी/चार

प्रतिलिपि :—

1. राज्यपाल के सचिव, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/आडिट-1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशास विभाग (स्थापना शाखा)/वेतन आयोग प्रकोष्ठ भोपाल।
8. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) भोपाल।
9. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल।
10. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा पेंशन, मध्यप्रदेश।
11. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
12. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

हस्ता/-
(ए.आर.त्रिपाठी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग